



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222104
CG-DL-E-29092020-222104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3015]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 3015]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3378(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के खण्ड 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 15 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1919, जिसे भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है, सरकार, निर्गम विभाग तथा बैंकिंग विभाग के साप्ताहिक लेखा के संचारण के लिए निम्नलिखित फॉर्म निर्धारित करती है, नामत :-

फॉर्म
[खण्ड 53(1) देखें]
भारतीय रिजर्व बैंक
..... को समाप्त सप्ताह का लेखा

(राशि करोड़ रुपए में)

दायित्व	अनुसूची	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	परिसम्पत्ति	अनुसूची	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष
पूँजी				बैंकिंग विभाग की परिसंपत्तियां (बीडी)			
आरक्षित निधि				नोट, रुपए सिक्के, छोटे सिक्के			
अन्य आरक्षित निधि				सोना – बीडी			
जमाराशि				निवेश-			
				विदेशी-बीडी			
				निवेश-			
जोखिम प्रावधान				घरेलू-बीडी			
आकस्मिक निधि				खरीदे तथा भुनाए गए बिल			
परिसंपत्ति विकास निधि				ऋण और अग्रिम			
पुनर्मूल्यांकन लेखा				सहायक कंपनियों में निवेश			
अन्य दायित्व				अन्य परिसंपत्तियां			
				निर्गम विभाग की परिसंपत्तियां (आईडी)			
जारीकर्ता विभाग का दायित्व				(नोटों को जारी करने के लिए प्रतिभूति)			
जारी किए गए नोट				सोना-आईडी			
				रुपए के सिक्के			
				निवेश-			
				विदेशी-आईडी			
				निवेश-			
				घरेलू-आईडी			
				विनिमय तथा अन्य व्यवसायिक दस्तावेज के घरेलू बिल			
कुल दायित्व				कुल परिसंपत्तियां			

[फा. सं. 7/169/2019-बीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O. 1919 (E), dated the 15th July, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby prescribes the following form for transmitting the weekly account of the Issue Department and of the Banking Department, namely:—

Form
[See section 53(1)]
RESERVE BANK OF INDIA
Account for the week ending.....

(Amount in ₹ crore)

Liabilities	Schedules	Previous year	Current year	Assets	Schedules	Previous year	Current year
Capital				Assets of Banking Department (BD)			
Reserve fund				Notes, rupee coin, small coin			
Other reserves				Gold — BD			
Deposits				Investments — Foreign — BD			
Risk Provisions				Investments — Domestic — BD			
• Contingency Fund				Bills purchased and discounted			
• Asset Development Fund				Loans and advances			
Revaluation Accounts				Investment in subsidiaries			
Other Liabilities				Other assets			
Liabilities of Issue Department				Assets of Issue Department (ID) (As backing for Notes issued)			
Notes issued				Gold — ID			
				Rupee coin			
				Investments — Foreign — ID			
				Investments — Domestic — ID			
				Domestic bills of exchange and other commercial papers			
Total liabilities				Total assets.			

[F. No. 7/169/2019-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.